



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श०)

(सं० पटना 595) पटना, शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

9 जुलाई 2021

एस० ओ० 117, दिनांक 9 जुलाई 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 101 दिनांक 29 जून 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 562 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, -

- (i) शब्दों, अक्षरों और अंकों "जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवष्ट में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं", के स्थान पर, शब्दों "जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवष्ट में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए नियत तारीख तक, कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) तालिका में स्तंभ (4) के शीर्षक में, "कर अवधि" शब्दों, के स्थान पर, "माह/ तिमाही" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (iii) निम्नलिखित को तालिका में क्र.सं. 4,5,6 और 7 में प्रतिस्थापित किया जायेगा,

1	2	3	4
“4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	अप्रैल 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	अप्रैल 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है “।

2. इस अधिसूचना को मई, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-12)1191)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

9 July 2021

एस० ओ० 117, दिनांक 9 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1191)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 9th July 2021

S.O. 117, dated 9th July 2021— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 101 dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 562 dated the 29th June, 2017, namely: —

In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso,-

- (i) for the words, letters and figure “required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax”, the words “liable to pay tax but fail to do so” shall be substituted;
- (ii) in the Table, in column 4, in the heading, for the words “Tax period”, the words “Month/Quarter” shall be substituted;
- (iii) in the Table, for serial number 4, 5, 6 and 7, the following shall be substituted, namely: —

(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021 and May, 2021
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021

6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of May, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1191)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 595-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>